न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(नरेश बुनकर आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्या :– 08 / 2020
जीसीएमएस न :– 2020 / 00036
दायर दिनांक :– 30 / 07 / 2020
निर्णय दिनांक :– 29 / 08 / 2023

अनवान

1. सत्तार मोहम्मद पिता अनार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी रेलमगरा हाल निवासी लडपचा तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज0)

———निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत गवारडी, जरिये सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गवारडी, पंचा0 समिति रेलमगरा, तह0 रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. श्रीमती समीम बानु पत्नि सत्तार मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लडपचा तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द
3. उपपंजियक रेलमगरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

———गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 निगरानी विरूद्ध आदेश अधीनस्थ ग्राम पंचायत गवारडी द्वारा दिनांक 01.06.2017 को विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी आबादी भूमि के पट्टा विलेख को निरस्त कराने बाबत्।

उपस्थित :–

1– श्री उदयलाल कुमावत, अधिवक्ता निगराकार
2– श्री प्रकाश सारस्वत , अधिवक्ता गैर निगराकार

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 29.08.2023

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । ग्राम पंचायत गवारडी द्वारा गैरनिगराकार संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा नियम विरूद्ध होने से यह निगरानी पेश की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी तथा शामिल मिसल की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम पंचायत गवारडी द्वारा

विपक्षी संख्या 2 के नाम पर अंदर हल्का आबादी में निम्न पडौसी के मध्य स्थित भुखण्ड/मकान का एक आवासीय पट्टा जारी किया
पूर्वः– खेम जी कुम्हार का मकान, पश्चिम :– पीरूलाल कुम्हार का नाम
उत्तर :– खेम जी कुम्हार का मकान दक्षिण आम रास्ता
कुल क्षेत्रफलः– 684.5 वर्गफीट

उक्त वर्णित भुखण्ड का ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 01.06.2017 को आबादी का बता कर विपक्षी संख्या दो के पक्ष में राजस्थान पंचायत अधिनियम 1996 के नियम 157 के अधीन 50 वर्ष से भी अधिक पुराने घर पर कब्जा/पंचायत आबादी भूमि पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रारम्भ होने की तारीख से पिछले 50 वर्षो के दौरान स्वनिर्मित किया गया कि शर्त पर पुराने मकान का विनयमितिकरण कर विपक्षी संख्या एक ने विपक्षी संख्या 2 से मिलिभगत कर विपक्षी संख्या 2 के नाम पर पट्टा जारी किया गया जो कि पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) की शर्तो के विरूद्ध जारी किया जो काबिल खारिज होने योग्य है, पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत 50 वर्ष से भी अधिक पुराने मकान का पट्टा किसी वैद्य दस्तावेज के आधार पर विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने के प्रावधान है, जबकि विपक्षी संख्या दो के पक्ष में पुराने कब्जे को आधार बताते हुए आपस में मिलिभगत कर भुखण्ड का पटटा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी कर दिया जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है, विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या दो के पक्ष में दिनांक 01.06.2017 को नियम 157 के अधीन पट्टा जारी किया उक्त पट्टे शुदा भूमि प्रार्थी निगराकार की खरीदशुदा है, उक्त भूमि को प्रार्थी निगराकार ने शंकरलाल पिता तोलीराम सुथार निवासी लडपचा तहसील रेलमगरा से दिनांक 16.05.2014 को जरिये ईकरार क्रय की है जिसका एक विक्रय ईकरार नामा दिनांक 16.05.2014 को विक्रेता श्री शंकरलाल पिता तोलीराम सुथार निवासी लडपचा ने प्रार्थी निगराकार के पक्ष में बजाब्ता स्टाम्प पर निष्पादित कर अपने हस्ताक्षर किये एंव विक्रय शुदा भूखण्ड कब्जा आधिपत्य प्रार्थी निगराकार को सिपूर्द किया एवं तत्पश्चात प्रार्थी निगराकार ने उक्त क्रय शुदा भुखण्ड पर लागत लगा कर अपने आवास हेतु मकान का निर्माण करवाया और मकान के निर्माण पश्चात प्रार्थी निगराकार इसी मकान में निवास कर रहा है, इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 से मिलिभगत कर उक्त भूखण्ड/मकान पर अपना पुराना कब्जा होना बताकर अपने पक्ष में नियम 157 (1) के तहत गलत रूप से पट्टा जारी करा दिया जो कि काबिल खारीज है व प्रार्थी के मुकाबले शुन्य दस्तावेज है जिसे निरस्त करने हेतु यह निगरानी याचिका प्रस्तुत है, यहॉ यह भी उल्लेखनिय है कि विपक्षी संख्या दो की उम्र मात्र 34 वर्ष ही हुए है और विपक्षी संख्या 2 का ससुराल भी ग्राम रेलमगरा में ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत गवारडी के ग्राम लडपचा में स्थित उक्त भुखण्ड/मकान पर विपक्षी संख्या दो का 50 वर्षो से या इससे अधिक समय से कब्जा होना किसी भी स्थिति में सम्भव नहीं है, फिर भी गैरनिगराकार संख्या 1 व दो ने आपस में सांठ गांठ व मिली भगत करते हुए मिथ्या तथ्यों के आधार पर

उक्त पट्टा विलेख गैरनिगराकार संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी मजदुरी करता है, इस वजह से आस पास के गॉव शहर में रंगाई पुताई के कार्य हेतु बाहर आता जाता रहता है इस बात का फायदा उठाते हुए विपक्षी संख्या दो ने एक से मिलीभगत कर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के क्रयशुदा मकान मय भुखण्ड का षडयन्त्र पुर्वक प्रार्थी की बिना जानकारी के गलत तथ्यों के आधार पर उक्त पट्टा जारी करा दिया गया जो अवैद्य व विधि विरूद्ध होने से कानुनन निरस्त होने योग्य है, अतः निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या दो के पक्ष में विपक्षी संख्या 1 द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 01.06.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

गैरनिगराकार के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया हैं कि उक्त पट्टा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किये गये हैं। निगराकार ने तथ्य के रूप में गलत बाते लिखी है, तथा उसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किये है, पंचायत द्वारा विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए गैरनिगराकार संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, अतः निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गवारडी द्वारा जारी पट्टे को यथावत् रखा जावें।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस, विधिक नजीरों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, के आधार पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत् प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टे जारी किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है, तथा निगराकार द्वारा निगरानी में वर्णित तथ्यों के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबुत पेश नही किये है, अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारीज योग्य है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारीज की जाती है।

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 29.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया जो शामिल पत्रावली रहे, संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर रहें।

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द